

30/4/2026

वकील शर्मा ने उपस्थित सुनार जवला प्रोपत्र मय दस्तावेज पेश कर जाहिर किया, कि शर्मा उसी जमीन को नावासीय मसौदास्य संप्रिवर्तन करवाना चाहता है किन्तु इस जमीन पर न्यायालय हाजि का स्वाम्य होने के कारण शर्मागण अपनी जमीन को जमीन उपयोग परिवर्तन नहीं करवा पा रहा है शर्मा अपनी जमीन को विविधतास्य संप्रिवर्तन करवाने इतत जमीन को अधिक उपयोग करना चाहता है अंत में स्वाम्य नावेशी निस्त करने का निवेदन किया।

वकील शर्मा के कथनों पर मनव किया गया 7 परावली का जवाब दिया गया। शर्मा अपनी जमीन का अधिक मसौदास्य संप्रिवर्तन करवाकर प्र उपयोग करना चाहता है एवं राजस्व राशि भी जमा करवा रहा है ऐसे में शर्मा को उसके न्यायसिद्ध में जमीन का संप्रिवर्तन करवाने का अवसर दिया जाना उचित होगा, जिससे शर्मा अपनी जमीन को संप्रिवर्तन मसौदास्य संप्रिवर्तन करवा सके और संप्रिवर्तन करवाने से राजस्व ठाण भी होगी।

अतः न्यायालय हाजि के आदेश दिनांक 03/02/2025 को निस्त किया जाता है ज्ञापनी फौसला सुनार जवला प्रोपत्र से का नो जाकर दायिमल दफ्तार हो।

*Legend*